रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112025-267426
CG-DL-E-06112025-267426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 718]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 31, 2025/ कार्तिक 9, 1947
No. 718]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 2025/ KARTIKA 9, 1947

खान मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि. 803(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, निदेशक (प्रशासनिक), मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं सहायक (समूह- 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 को, जहां तक इनका संबंध सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए लेखबद्ध कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	*22(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रू.)	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत अभ्यर्थियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
अधिकतम तीस वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। केवल सीधी भर्ती के लिए।	(i) बीस प्रतिशत, सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) अस्सी प्रतिशत प्रोन्नति

अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	डिग्री। (ii) लेखा या प्रशासन या स्थापना या बजट या अनुशासनात्मक मामलों या भंडार क्रय में किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार लेखबद्ध कारणों के लिए शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) लेखबद्ध कारणों के लिए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		टिप्पण:- सीधी भर्ती के लिए परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना आज्ञापक होगा।	द्वारा, जिसके न होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6 (35400-112400 रू.) में ऐसे सहायक जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ अभ्यर्थियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ अभ्यर्थियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ अभ्यर्थियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या

मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी;- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपये) में स्तर-6 या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए यथा विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अभ्यर्थी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविधा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे :- (1) खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो - अध्यक्ष; (2) क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य; (3) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे: - (1) क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो - अध्यक्ष; (2) क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य; (3) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य।	सीधी भर्ती के मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 22/5/2018- खान III]

संजय लोहिया, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2025

G.S.R. 803(E).—— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Director (Administration), Chief Administrative Officer, Senior Administrative Officer, Administrative Officer, Assistant Administrative Officer, and Assistant (Group- 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2019, in so far as they relate to the post of Assistant Administrative Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes

the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Administrative Officer in Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, namely:-—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Assistant Administrative Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Administrative Officer.	*22(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix.	Selection post.	Not exceeding thirty years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by the Central

					Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute. (ii) two years experience in Accounts or Administration or Establishment or Budget or disciplinary cases or purchase of stores in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body. **Note** 1 : The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note** 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years. for direct recruits only. Note: The direct recruits shall be required to successfully complete a mandatory induction training for at least two weeks duration in relevant field for completion of probation.	(i) twenty per cent. by direct recruitment; and (ii) eighty per cent. by promotion failing which deputation including short- term contract.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: Assistant in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed at least two weeks training as prescribed by the competent authority. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions or autonomous or statutory organisations;- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7). **Note** 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note** 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note** 3: The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group ‘B’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - (1.) Controller of Mines, Indian Bureau of Mines –Chairman; (2.) Regional Mining Geologist, Indian Bureau of Mines –Member; (3.) Senior Administrative Officer, Indian Bureau of Mines- Member. Group ‘B’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - (1.) Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines – Chairman; (2.) Regional Mining Geologist, Indian Bureau of Mines –Member; (3.) Senior Administrative Officer, Indian Bureau of Mines – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary in case of direct recruitment.

[F. No. 22/5/2018-Mines III]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.11.06 23:51:47 +05'30'